

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2022

जयपुर, दिनांक 17 मई, 2022

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ.4(2)(1)/नपा/रानिआ/ 2022/ 8986 दिनांक 04.05.2022 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(1)/नपा/ रानिआ/ 2022/9191 दिनांक 13.05.2022 द्वारा राज्य के 10 जिलों की 14 नगरीय निकायों (सूची संलग्न) के उप चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के नगरीय निकायों के उक्त चुनाव हेतु मतदान होने की स्थिति में दिनांक 29.05.2022 (रविवार) को संलग्न सूची के अनुसार मतदान क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा, ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से



(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक (बजट)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

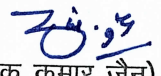
(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(1)नपा/रानिआ/ 2022/ 9241

दिनांक : 17.05.22

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राजस्थान

क्रमांक